



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १२, अंक १२]

सोमवार, मार्च १६, २०२६/फाल्गुन २५, शके १९४७

[पृष्ठे ८८, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १८

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियमों (सातवाँ संस्करण) के नियम ११६(१) के प्रथम परंतुक के अधीन प्रकाशित किया जाता है :—

L. A. BILL No. XXI OF 2026.

A BILL

TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES AND PURPOSES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH, 2027.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २१ सन् २०२६।

विधेयक जिसके द्वारा राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२७ के इक्कीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए कतिपय रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२७ के इक्कीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए कतिपय रकमों के विनियोग के लिए यह आवश्यक है कि, विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ, उपबंध करना आवश्यक है ; इसलिए, भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में, एतद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र विनियोग अधिनियम, २०२६ कहलाए।

संक्षिप्त नाम।

(१)

राज्य की समेकित निधि में से वित्तीय वर्ष २०२६-२०२७ के लिये, ८५ खरब, ८५ अरब, ०८ करोड़, ५२ लाख, ६३ हजार रुपये निकालना।

२. राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमों, जो इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर पचासी खरब, पचासी अरब, आठ करोड़, बावन लाख, तिरसठ हजार रुपयों की रकम के बराबर होंगी, अनुसूची के स्तम्भ (२) में बताये हुए कार्यों तथा उद्देश्यों के सम्बन्ध में, सन् २०२७ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में, होनेवाले व्ययों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जाएगी।

विनियोग। ३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०२७ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए, कार्यों तथा उद्देश्यों के लिये विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची
(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)	रकमों जो निम्न से अधिक नहीं होंगी		
			विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल

क—राजस्व लेखे पर व्यय

सामान्य प्रशासन विभाग

ए-१	राज्यपाल और मंत्री परिषद ।	२०१२, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/ संघराज्य क्षेत्रों के प्रशासक ।	४५,१४,६९,०००	४६,१४,०८,०००	९१,२८,७७,०००
ए-२	निर्वाचन ।	२०१३, मंत्री परिषद			
ए-३	लोक सेवा आयोग ।	२०१५, निर्वाचन ।	७,९३,४३,६९,०००	...	७,९३,४३,६९,०००
ए-४	सचिवालय और विविध सामान्य सेवाएँ ।	२०५१, लोक सेवा आयोग ।	२,०००	१,३१,२१,२५,०००	१,३१,२१,२७,०००
ए-५	सामाजिक सेवाएँ ।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ ।	२१,५५,९६,५५,०००	१,०१,०००	२१,५५,९७,५६,०००
		२०५९, लोकनिर्माण कार्य ।			
		२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ ।			
		२०७५, विविध सामान्य सेवाएँ ।			
		२२१६, आवास ।	२,७३,५९,१४,०००	...	२,७३,५९,१४,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
		२२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ ।			
		२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ ।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
राजस्व तथा सामान्य प्रशासन विभाग—जारी					
ए-६	सूचना तथा प्रसार ।	२२२०, सूचना तथा प्रसार ।	६,८१,०८,७९,०००	१,५०,०००	६,८१,१०,२९,०००
ए-७	सिविल विमानन ।	३०५३, सिविल विमानन ।	१६,००,९६,१९,०००	...	१६,००,९६,१९,०००
ए-८	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी ।	३४५४, जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी ।	५,०००	...	५,०००
कुल—सामान प्रशासन विभाग ।			५५,५०,१९,०४,०००	१,७७,३७,८४,०००	५७,२७,५६,८८,०००
गृह विभाग					
बी-१	पुलिस प्रशासन ।	२०१४, न्याय प्रशासन ।	३,३७,०६,८१,२७,०००	६,००,५०,०००	३,३७,१२,८१,७७,०००
		२०५५, पुलिस ।			
		२०७०, अन्य प्रशासकिय सेवाएँ ।			
बी-२	राज्य उत्पाद शुल्क ।	२०३९, राज्य उत्पाद शुल्क ।	३,७०,५५,५९,०००	१,०९,०००	३,७०,५६,६०,०००
बी-३	परिवहन प्रशासन ।	२०४१, वाहनों पर कर ।	७१,४८,०७,०२,०००	१,५०,००,००,०००	७२,९८,०७,०२,०००
		३०५५, सड़क परिवहन ।			
		३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।			
बी-४	सचिवालय और अन्य सामान्य सेवाएँ ।	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क ।	७९,६६,९८,०००	...	७९,६६,९८,०००
		२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ ।			
		२०७५, विविध सामान्य सेवाएँ ।			
बी-५	जेल	२०५६, जेल	८,५४,०९,९९,०००	...	८,५४,०९,९९,०००
बी-६	सामान्य सेवाएँ ।	२२१७, नगर विकास ।	४,६९,१७,०००	...	४,६९,१७,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
		२२५०, अन्य सामान्य सेवाएँ ।			

बी-७	आर्थिक सेवाएँ।	३००९, भारतीय रेल-नीती-निर्धारण, निदेशन, अनुसंधान और अन्य विविध संगठन।	..	१०,७५,७६,००,०००	...	१०,७५,७६,००,०००
		३०५१, पत्तन तथा दीप गृह।				
बी-८	बाढ़ नियंत्रण और जल विकास।	२७११, बाढ़ नियंत्रण और जल विकास।	..	३६,००,००,०००	...	३६,००,००,०००
बी-९	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	२,०००	..	२,०००
कुल—गृह विभाग।						
			..	४,३२,७५,६५,९६,०००	१,५६,०१,५१,०००	४,३४,३१,६७,४७,०००
राजस्व तथा वन विभाग						
सी-१	राजस्व तथा जिला प्रशासन।	२०२९, भू-राजस्व।	..	५३,५१,७४,८९,०००	३८,०००	५३,५१,७५,२७,०००
		२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क।	..			
		२०५३, जिला प्रशासन।				
		२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।				
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
		२८५३, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग।				
सी-२	स्टाम्प और पंजीकरण।	२०३०, स्टाम्प और पंजीकरण।	..	४,५६,६६,७०,०००	३,०००	४,५६,६६,७३,०००
सी-३	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	२,३७,५४,४९,०००	२,०००	२,३७,५४,४९,०००
सी-४	सचिवालय तथा अन्य सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।	..	१,०९,०१,९७,०००	५,०००	१,०९,०२,०२,०००
		२०५९, लोक निर्माण कार्य।				
		२०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	..			
सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२१७, नगरविकास।	..	१,०५,५७,७९,०००	११,०००	१,०५,५७,९०,०००
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ।				
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	..	१,७५,७२,००,५४,०००	४,०००	१,७५,७२,००,५८,०००
		२७११, बाढ़ नियंत्रण और निकासी।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
सी-७	वन।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	४७,६८,६८,७४,०००	१,०००	४७,६८,६८,७५,०००
		२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।			
		२५५१, पहाड़ी क्षेत्र।			
सी-८	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	...	८,००,००,०००	८,००,००,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	२,८६,०१,२५,०४,०००	८,००,६४,०००	२,८६,०१,२५,६८,०००
कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग (एडीएफ)					
डी-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	...	८६,३८,३५,०००	८६,३८,३५,०००
डी-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२४,७०,०००	...	२४,७०,०००
डी-३	कृषि सेवाएँ।	२४०१, कृषि कर्म।	१,७४,२६,५४,२९,०००	५०,००,०००	१,७४,२६,५४,२९,०००
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।			
		२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।			
डी-४	पशुपालन।	२४०३, पशुपालन।	२०,४२,९३,०४,०००	१,००,०००	२०,४२,९४,०४,०००
डी-५	दुग्ध उद्योग विकास।	...	२,०३,७९,४६,०००	५०,००,०००	२,०४,२९,४६,०००
डी-६	मत्स्य उद्योग।	...	३,१५,४९,७४,०००	१,५०,०००	३,१५,५१,२४,०००
डी-७	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२७०२, लघु सिंचन।	१,१३,४७,३४,०००	...	१,१३,४७,३४,०००
		३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।			
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग (एडीएफ)।	२,०१,०२,४८,५७,०००	८७,४०,८५,०००	२,०१,८९,८९,४२,०००

विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग

इ-१	ब्याज अदायगियाँ ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ ।	..	..	२२,१६,८२,९९,०००	२२,१६,८२,९९,०००
इ-२	सामान्य शिक्षा ।	.. २२०२, सामान्य शिक्षा ।	..	८,६०,४५,८३,६८,०००	१,९०,१४,०००	८,६०,४५,८३,६८,०००
इ-३	सचिवालय और अन्य सामान्य सेवाएँ ।	२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ ।	..	७,७३,८७,४७,०००	२,०००	७,७३,८७,४७,०००
		२२०५, कला तथा संस्कृति ।	..			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।				
		२२५१, सचिवालय- सामाजिक सेवाएँ ।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।				
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग ।	..	८,६८,१९,७१,१५,०००	२२,१८,७३,०७,०००	८,९०,३८,४४,२२,०००

नगरविकास विभाग

एफ-१	ब्याज अदायगियाँ ।	.. २०४९, ब्याज अदायगियाँ ।	..	..	३,००,००,००,०००	३,००,००,००,०००
एफ-२	नगरविकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ ।	२०५३, जिला प्रशासन ।	..	२,०९,४५,९६,९०,०००	२,५०,०००	२,०९,४५,९६,९०,०००
		२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ ।				
		२२१७, नगरविकास ।				
		३०५५, सड़क परिवहन ।				
एफ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	..	४४,३५,८८,०००	...	४४,३५,८८,०००
		२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ ।				
एफ-४	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।		३,५१,९२,६७,५६,०००	...	३,५१,९२,६७,५६,०००
		कुल—नगरविकास विभाग ।	..	५,६१,८३,००,३४,०००	३,००,०२,५०,०००	५,६४,८३,०२,८४,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	
		वित्त विभाग	रुपये	रुपये
जी-१	विक्रय कर प्रशासन।	२०२०, आय तथा व्यय पर कर का संग्रहण।	१५,४२,५८,३४,०००	१,००,०००
		२०४०, विक्रय, व्यापार आदि पर कर।		
जी-२	अन्य वित्तीय तथा विविध सेवाएँ।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	१२,६९,७०,९५,०००	...
		२०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।		
जी-३	ब्याज अदायगीयों तथा ऋण सेवा।	२०४८, ऋणों में कमी करने या परिहार के लिए विनियोग।	...	६,१२,४७,४०,३१,०००
		२०४९, ब्याज अदायगीयों।		
जी-४	सचिवालय — सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।	८३,०९,१४,०००	...
जी-५	कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	२०५४, कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	६,४०,०९,६०,०००	२,००,०००
जी-६	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ।	२०७१, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ।	७,५५,४७,८३,४५,०००	३,१६,४०,४५,०००
जी-७	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	१,३०,२३,२९,०००	...
कुल—वित्त विभाग।			८,७२,१३,४६,६९,०००	६,१५,६३,८३,७६,०००
१४,८७,७७,३०,४५,०००				

लोकनिर्माण कार्य विभाग

एच-२	अन्य प्रशासनिक तथा सामाजिक सेवाएँ।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	...	८५,००,०००
एच-३	आवास।	२२१६, आवास।	४,२२,१२,८८,०००	...
एच-४	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	८२,११,४६,०००	...
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।		
		३०५३, सिविल विमानन।		
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।		

एच-५	सड़क तथा पुल।	३०५४, सड़क तथा पुल।	..	७५,१४,५२,५७,०००	१५,००,०००	७५,१४,६७,५७,०००
एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य।	..	३७,८७,२३,७८,०००	७,५०,१६,०००	३७,९४,७३,९४,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।				
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२१७, नगरविकास।				
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।				
		२४०३, पशुपालन।				
		२४०५, मत्स्योद्योग।				
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	..	१,१८,०६,८५,६९,०००	७,६५,१६,०००	१,१८,१४,५०,८५,०००
जलस्रोत विभाग						
आय-१	ब्याज अदायगियाँ।	.. २०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	..	१५,९८,३६,६४,०००	१५,९८,३६,६४,०००
आय-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	.. २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	२,००,००,०००	..	२,००,००,०००
आय-३	सिंचाई, विद्युत तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	.. २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।	..	२६,८९,५५,७७,०००	..	२६,८९,५५,७७,०००
		२७००, बड़ी सिंचाई।				
		२७०१, मध्यम सिंचाई।				
		२७०२, लघु सिंचाई।				
		२७०५, कमान क्षेत्र विकास।				
		२७११, बाढ़ नियंत्रण और विकास।				
		२८०१, विद्युत।				
		३४०२, अन्तरिक्ष अनुसंधान।				
आय-४	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	.. ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	..	८२,४५,२१,०००	..	८२,४५,२१,०००
		कुल—जलस्रोत विभाग।	..	२७,७४,००,९८,०००	१५,९८,३६,६४,०००	४३,७२,३७,६२,०००

$$(2) \quad (2)$$
$$(\infty)$$

रूपये

क्र.सं.	विवरण	२०१४, न्याय प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन।
जे-१	न्याय प्रशासन।	..	२०१४, न्याय प्रशासन।	..	४५,७७,८३,४२,०००
जे-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ।	..	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	३,०६,१७,८१,००० ११,००,००० ११,००,००० ११,००,००० ७,३२,६०,००० ...
जे-३	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५७, पूर्ति और निपटान। २०५८, लेखनसामग्री तथा मुद्रण।	..	४८,९१,३३,८३,००० ८,९०,५९,९६,००० ५७,८१,९३,७९,०००
के-१	पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क।	..	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क।	..	१,०१,६८,५३,००० ...
के-३	लेखनसामग्री तथा मुद्रण।	..	२०५७, पूर्ति और निपटान। २०५८, लेखनसामग्री तथा मुद्रण।	..	२,४९,३६,५१,००० १,००,००० २,४९,३७,५१,०००
के-४	श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।	..	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।	..	४,५०,३७,४५,००० ...
के-५	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	११,९९,००० ...
के-६	ऊर्जा।	..	२८०१, विद्युत।	..	२,१४,०१,६९,३०,००० ...
के-७	उद्योग।	..	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग। २८५३, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग। ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	..	८१,३३,७५,६३,००० १,००० ८१,३३,७५,६४,००० ५१,०९,४२,००० ५१,०९,४२,०००
के-८	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	..	कुल-उद्योग, ऊर्जा श्रम तथा खनन विभाग।	..	३,०३,८८,०८,७५,००० १,०१,००० ३,०३,८८,०९,७६,०००

ग्रामविकास विभाग

एल-१	ब्याज अदायगीयाँ।	..	..	२९,५५,७५,४९,०००	२९,५५,७५,४९,०००
एल-२	जिला प्रशासन।	..	१,११,४०,९५,०८,०००	१,०००	१,११,४०,९५,०९,०००
एल-३	ग्रामविकास कार्यक्रम।	..	२,१७,३०,४०,०३,०००	...	२,१७,३०,४०,०३,०००

२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।

२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।

२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।

२५०५, ग्राम नियोजन।

२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।

३०५४, सड़क तथा पुल।

एल-४	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	..	१,०४,१५,१९,०००	...	१,०४,१५,१९,०००
एल-५	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	६,१०,१६,४०,०००	७,६०,०५,४४,०००	१३,७०,२१,८४,०००

कुल—ग्रामविकास विभाग

३,३५,८५,६६,७०,०००	३७,१५,८०,८६,०००	३,७३,०१,४७,५६,०००
-------------------	-----------------	-------------------

खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

एम-१	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	१०,००,०००	...	१०,००,०००
एम-२	खाद्य भंडारकरण और गोदाम।	..	८,०२,०६,८१,०००	२६,८०,००,०००	८,२८,८६,८१,०००
एम-३	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	..	१,९६,१९,०७,०००	...	१,९६,१९,०७,०००
	३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।				

कुल—खाद्य सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।

१,९८,३५,८८,०००	२६,८०,००,०००	१०,२५,१५,८८,०००
----------------	--------------	-----------------

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग		(४)
				रुपये	रुपये
एन-१	ब्याज अदायगियाँ।	..	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	३०,००,०००
	एन-२ सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।		२०५३, जिला प्रशासन।	१४,५९,७८,०२,०००	१४,५९,७८,०२,०००
			२२१६, आवास।	..	
एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।	..	
			२०५३, जिला प्रशासन	..	
		२२०२, सामान्य शिक्षा।	..		
		२२०५, कला तथा संस्कृति।	..		
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	..		
		२२११, परिवार कल्याण।	..		
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	..		
		२२१६, आवास।	..		
		२२१७, नगर विकास।	..		
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	..		
			अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		
	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विभाग।				
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
	२२३६, पोषण।				
	२४०१, कृषि कर्म।				
	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।				
	२४०३, पशुपालन।				
	२४०५, मत्स्य उद्योग।				
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
	२४०८, खाद्य भंडारण तथा गोदाम।				
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।				
	२५०५, ग्राम नियोजन।				

एन-६	जिला योजना	२८०१, विद्युत । २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा । २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग । २८५२, उद्योग । २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण । कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग ।	..	२९,१९,३२,१४,०००	...	२९,१९,३२,१४,०००
ओ-१	जिला प्रशासन ।	२०५३, जिला प्रशासन । २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २५०५, ग्राम नियोजन । २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम । ३४२५, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान । ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३४५४, जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी । ३६०४, स्थानिक निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	..	१,००,००,००० ५,००,०४,२०,००० ६२,०१,२३,०२,००० २,०३,००० ६१,५१,५०,००० ४,१९,५३,९०,००० २,००,६२,००० २२,१८,५४,४३,०००	 १,००,००,०१,००० ५,१४,३७,००० ... १,०००	१,००,००,००० ५,००,०४,२०,००० ६३,०१,२३,०३,००० २,०३,००० ६१,५१,५०,००० ५,०४,६८,२७,००० २,००,६२,००० २२,१८,५४,४३,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
अं-१४	जिला योजना - मुंबई शहर।		रुपये	रुपये
		२०४१, वाहनों पर कर ।		३,४४,०८,२०,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।		...
		२२०२, सामान्य शिक्षा।		
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
		२२०५, कला तथा संस्कृति।		
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
		२२१६, आवास।		
		२२१७, नगरविकास।		
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
		२२३६, पोषण।		
		२४०५ मत्स्य उद्योग।		
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
		३४५२, पर्यटन।		

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
ओ-१८	जिला योजना - ठाणे।	२०४१, वाहनों पर कर। २०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समन्वय।	...	८,५९,९९,४५,००० ८,५९,९९,४५,०००

ओ-२०	जिला योजना - रायगड।	...	३,१४,१५,०८,०००	३,१४,१५,०८,०००
	२०४१, वाहनों पर कर।			
	२०५३, जिला प्रशासन।			
	२२०२, सामान्य शिक्षा।			
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
	२२०५, कला तथा संस्कृति।			
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
	२२१७, नगर विकास।			
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।			
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
	२२३६, पोषण।			
	२४०३, पशुपालन।			
	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।			
	२४०५, मत्स्य उद्योग।			
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
	२४२५, सहकारिता।			
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
	२७०२, लघु सिंचाई।			
	२८०१, विद्युत।			
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
	३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।			
	३०५४, सड़क तथा पुल।			
	३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन।			
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
	३४५२, पर्यटन।			
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज			

संस्थाओं को प्रतिकर तथा समन्वय।

ओ-२४	जिला योजना-सिंधुदुर्ग।	२०४१, वाहनों पर कर।	२,५५,५०,६७,०००	...	२,५५,५०,६७,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।			
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगर विकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज			
		संस्थाओं को प्रतिकर तथा समन्वय।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
ओ-२६	जिला योजना - पुणे।		रुपये	रुपये
		२०४१, वाहनों पर कर।	१३,००,५३,०४,०००	१३,००,५३,०४,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।	...	...
		२२०२, सामान्य शिक्षा।		
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
		२२०५, कला तथा संस्कृति।		
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
		२२१७, नगर विकास।		
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,		
		अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
		२२३६, पोषण।		
		२४०३, पशुपालन।		
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।		
		२४०५, मत्स्य उद्योग।		
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
		२४२५, सहकारिता।		
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
		२७०२, लघु सिंचाई।		
		२८०१, विद्युत।		
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
		३०५४, सड़क तथा पुल।		
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
		३४५२, पर्यटन।		
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज		
		संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		

ओ-२८	जिला योजना - सतारा।	२०४१, वाहनों पर कर।	२०५३, जिला प्रशासन।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	२२०३, तकनीकी शिक्षा।	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।	२२०५, कला तथा संस्कृति।	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	२२१७, नगर विकास।	२२२०, सूचना तथा प्रचार।	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३६, पोषण।	२४०३, पशुपालन।	२४०५, मत्स्य उद्योग।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	२४२५, सहकारिता।	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।	२७०२, लघु सिंचाई।	२८०१, विद्युत।	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।	३०५४, सड़क तथा पुल।	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।	३४५२, पर्यटन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	५,८१,९१,५९,०००	...	५,८१,९१,५९,०००
------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------------	-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------	----------------	----------------------	-------------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------	----------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------	-------------------------------	---------------	---	----------------	-----	----------------

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
ओ-३०	जिला योजना-सांगली।		रुपये	रुपये
		२०४१, वाहनो पर कर।	४,५७,५८,१६,०००	४,५७,५८,१६,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।	...	...
		२२०२, सामान्य शिक्षा।		
		२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।		
		२२०५, कला तथा संस्कृति।		
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
		२२१७, नगर विकास।		
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
		२२३६, पोषण।		
		२४०३, पशुपालन।		
		२४०५, मत्स्य उद्योग।		
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
		२४२५, सहकारिता।		
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।		
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
		२७०२, लघु सिंचाई।		
		२८०१, विद्युत।		
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
		३०५४, सड़क तथा पुल।		
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज		
		संस्थाओं को प्रतिकर तथा समन्वय।		

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
ओ-३४	जिला योजना-कोल्हापुर।	२०४१, वाहनों पर कर। २०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	रुपये	...
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समन्वय।	रुपये	...

५,५०,७०,४३,०००

५,५०,७०,४३,०००

..

ओ-३६	जिला योजना -नासिक।	...	८,१७,९७,७०,०००	...	८,१७,९७,७०,०००
२०४१,	वाहनों पर कर।				
२०५३,	जिला प्रशासन।				
२२०२,	सामान्य शिक्षा।				
२२०३,	तकनीकी शिक्षा।				
२२०४,	क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।				
२२०५,	कला तथा संस्कृति।				
२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
२२१७,	नगर विकास।				
२२२०,	सूचना तथा प्रचार।				
२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।				
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
२२३६,	पोषण।				
२४०३,	पशुपालन।				
२४०४,	दुग्ध उद्योग विकास।				
२४०५,	मत्स्य उद्योग।				
२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।				
२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
२७०२,	लघु सिंचाई।				
२८०१,	विद्युत।				
२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।				
३०५४,	सड़क तथा पुल।				
३४५१,	सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।				
३४५२,	पर्यटन।				
३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज				
	संस्थाओं को प्रतिकर तथा समन्वय।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
ओ-३८	जिला योजना -धुलिया।		रुपये	रुपये
		२०४१, वाहनों पर कर।	२,८९,९९,८७,०००	२,८९,९९,८७,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।	...	...
		२२०२, सामान्य शिक्षा।		
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
		२२०५, कला तथा संस्कृति।		
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
		२२१७, नगर विकास।		
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
		२२३६, पोषण।		
		२४०३, पशुपालन।		
		२४०५, मत्स्य उद्योग।		
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
		२४२५, सहकारिता।		
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।		
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
		२७०२, लघु सिंचाई।		
		२८०१, विद्युत।		
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
		३०५४, सड़क तथा पुल।		
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
		३४५२, पर्यटन।		
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज		
		संस्थाओं को प्रतिकर तथा समन्वय।		

भाग सात १८-४अ	ओ-४० जिला योजना-जलगाँव।	२०४१, वाहनों पर कर।	२०५३, जिला प्रशासन।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	२२०३, तकनीकी शिक्षा।	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।	२२०५, कला तथा संस्कृति।	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	२२१७, नगर विकास।	२२२०, सूचना तथा प्रचार।	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३६, पोषण।	२४०३, पशुपालन।	२४०५, मत्स्य उद्योग।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	२४२५, सहकारिता।	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।	२७०२, लघु सिंचाई।	२८०१, विद्युत।	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।	३०५४, सड़क तथा पुल।	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज	संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	...	६,२७,२८,२०,०००	६,२७,२८,२०,०००
---------------	-------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------------	-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------	----------------	----------------------	-------------------------	-----------------	--	----------------------------------	-------------------	----------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-----	----------------	----------------

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
ओ-४२	जिला योजना-अहमदनगर।		रुपये	रुपये
		२०४१, वाहनों पर कर।	७,६१,१०,००,०००	७,६१,१०,००,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।	...	...
		२२०२, सामान्य शिक्षा।		
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
		२२०५, कला तथा संस्कृति।		
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
		२२१७, नगर विकास।		
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
		२२३६, पोषण।		
		२४०३, पशुपालन।		
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।		
		२४०५, मत्स्य उद्योग।		
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
		२५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम।		
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
		२७०२, लघु सिंचाई।		
		२८०१, विद्युत।		
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
		३०५४, सड़क तथा पुल।		
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
		३४५२, पर्यटन।		
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समन्वय।		

ओ-४४	जिला योजना-नंदुरबार।	२०४१, वाहनों पर कर।	१,८७,१६,५०,०००	...	१,८७,१६,५०,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।			
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१७, नगर विकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग।			
		२४०६, वन तथा वन्यजीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज			
		संस्थाओं को प्रतिकर तथा समन्वय।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
ओ-४६	जिला योजना-छत्रपति संभाजी नगर।		रुपये	रुपये
		२०४१, वाहनो पर कर।	६,०२,३२,४४,०००	६,०२,३२,४४,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।	...	...
		२२०२, सामान्य शिक्षा।		
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
		२२०५, कला तथा संस्कृति।		
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
		२२१७, नगर विकास।		
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े		
		वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
		२२३६, पोषण।		
		२४०३, पशुपालन।		
		२४०५, मत्स्य उद्योग।		
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
		२४२५, सहकारिता।		
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।		
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
		२७०२, लघु सिंचाई।		
		२८०१, विद्युत।		
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
		३०५४, सड़क तथा पुल।		
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
		३४५२, पर्यटन।		
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज		
		संस्थाओं को प्रतिकर तथा समन्वयन।		

ओ-४८	जिला योजना-जालना।	२०४१, वाहनों पर कर।	२०४१, वाहनों पर कर।	३,१८,८८,०३,०००	...	३,१८,८८,०३,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।	२०५३, जिला प्रशासन।			
		२२०२, सामान्य शिक्षा।	२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।	२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।	२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगर विकास।	२२१७, नगर विकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।	२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण।	२२३६, पोषण।			
		२४०३, पशुपालन।	२४०३, पशुपालन।			
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग।	२४०५, मत्स्य उद्योग।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।	२४२५, सहकारिता।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।	२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।	२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।	३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन।	३४५२, पर्यटन।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			

अनुसूची-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
ओ-५०	जिला योजना -परभणी	२०४१, वाहनों पर कर । २०५३, जिला प्रशासन । २२०२, सामान्य शिक्षा । २२०३, तकनीकी शिक्षा । २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ । २२०५, कला तथा संस्कृति । २२१०, विविक्तता तथा लोकस्वास्थ्य । २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता । २२१७, नगर विकास । २२२०, सूचना तथा प्रचार । २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन । २४०४, दुग्ध उद्योग विकास । २४०५, मत्स्य उद्योग । २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम । २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम । २७०२, लघु सिंचाई । २८०१, विद्युत । २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा । २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग । ३०५४, सड़क तथा पुल । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज	...	रुपये ३,३२,२५,३५,००० रुपये ३,३२,२५,३५,०००

संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुद्देशन ।

ओ-५२	जिला योजना -नॉर्देड।	५,१४,५१,५६,०००	...	५,१४,५१,५६,०००
भाग सात १८-५	२०४१, वाहनों पर कर ।			
	२०५३, जिला प्रशासन।			
	२२०२, सामान्य शिक्षा।			
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
	२२०५, कला तथा संस्कृति।			
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
	२२१७, नगरविकास।			
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति			
	अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।			
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
	२२३६, पोषण ।			
	२४०३, पशुपालन।			
	२४०५, मत्स्य उद्योग।			
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
	२४२५, सहकारिता।			
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
	२७०२, लघु सिंचाई।			
	२८०१, विद्युत।			
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
	३०५४, सड़क तथा पुल।			
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
	३४५२, पर्यटन ।			
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज			
	संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
ओ-५४	जिला योजना -बीड।	२०४१, वाहनों पर कर । २०५३, जिला प्रशासन । २२०२, सामान्य शिक्षा । २२०३, तकनीकी शिक्षा । २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ । २२०५, कला तथा संस्कृति । २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य । २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता । २२१७, नगरविकास । २२२०, सूचना तथा प्रचार । २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन । २४०५, मत्स्य उद्योग । २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २७०२, लघु सिंचाई । २८०१, विद्युत । २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा । २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग । ३०५४, सड़क तथा पुल । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज	रुपये ५,३६,९९,०७,००० ...	रुपये ५,३६,९९,०७,०००

संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।

ओ-५६	जिला योजना -लातूर।	२०४१, वाहनों पर कर।	२०४१, वाहनों पर कर।	...	४,०५,८५,९५,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।	२०५३, जिला प्रशासन।		
		२२०२, सामान्य शिक्षा।	२२०२, सामान्य शिक्षा।		
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।	२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
		२२०५, कला तथा संस्कृति।	२२०५, कला तथा संस्कृति।		
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
		२२१७, नगरविकास।	२२१७, नगरविकास।		
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।	२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,		
		अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
		२४०३, पशुपालन।	२४०३, पशुपालन।		
		२४०५, मत्स्य उद्योग।	२४०५, मत्स्य उद्योग।		
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
		२४२५, सहकारिता।	२४२५, सहकारिता।		
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
		२७०२, लघु सिंचाई।	२७०२, लघु सिंचाई।		
		२८०१, विद्युत।	२८०१, विद्युत।		
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
		३०५४, सड़क तथा पुल।	३०५४, सड़क तथा पुल।		
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
		३४५२, पर्यटन।	३४५२, पर्यटन।		
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज		
		संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		

अनुसूची-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
ओ-५८	जिला योजना -धाराशिव।	२०४१, वाहनों पर कर । २०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	४,०५,६७,७१,००० ...	रुपये रुपये रुपये

ओ-६०	जिला योजना -हिंगोली	२,६७,०९,३१,०००	...	२,६७,०९,३१,०००
	२०४१, वाहनों पर कर ।			
	२०५३, जिला प्रशासन ।			
	२२०२, सामान्य शिक्षा ।			
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।			
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।			
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।			
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।			
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।			
	२२१७, नगरविकास ।			
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।			
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।			
	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास ।			
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
	२२३६, पोषण ।			
	२४०३, पशुपालन ।			
	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।			
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।			
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।			
	२४२५, सहकारिता ।			
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।			
	२७०२, लघु सिंचाई ।			
	२८०१, विद्युत ।			
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।			
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।			
	३०५४, सड़क तथा पुल ।			
	३४५१, सचिवालय आर्थिक सेवाएँ ।			
	३४५२, पर्यटन ।			
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।			

अनुसूची-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
ओ-६२	जिला योजना -नागपुर।	२०४१, वाहनों पर कर । २०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	...	रुपये १०,२१,९०,९२,००० रुपये १०,२१,९०,९२,०००

ओ-६४	जिला योजना -वर्धा।	२०४१, वाहनों पर कर ।	३,४३,७१,३४,०००	...	३,४३,७१,३४,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।			
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगरविकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज			
		संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुद्देशन।			

अनुसूची-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
ओ-६६	जिला योजना-भंडारा।	२०४१, वाहनों पर कर । २०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज	... २,५०,५८,१५,०००	रुपये २,५०,५८,१५,०००

संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।

ओ-६८	जिला योजना-चंद्रपुर।	४,३०,३०,१३,०००	...	४,३०,३०,१३,०००
	२०४१, वाहनों पर कर।			
	२०५३, जिला प्रशासन।			
	२२०२, सामान्य शिक्षा।			
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
	२२०५, कला तथा संस्कृति।			
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
	२२१७, नगरविकास।			
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाती, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।			
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
	२२३६, पोषण।			
	२४०३, पशुपालन।			
	२४०५, मत्स्य उद्योग।			
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
	२४२५, सहकारिता।			
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
	२७०२, लघु सिंचाई।			
	२८०१, विद्युत।			
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
	३०५४, सड़क तथा पुल।			
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
	३४५२, पर्यटन।			
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			

ओ-७२	जिला योजना -गोंदिया।	२,६०,८२,९२,०००	...	२,६०,८२,९२,०००
भाग सात-१८-६अ				
२०४१,	वाहनों पर कर ।			
२०५३,	जिला प्रशासन।			
२२०२,	सामान्य शिक्षा।			
२२०३,	तकनीकी शिक्षा।			
२२०४,	क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
२२०५,	कला तथा संस्कृति।			
२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
२२१७,	नगरविकास।			
२२२०,	सूचना तथा प्रचार।			
२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,			
	अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।			
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
२२३६,	पोषण।			
२४०३,	पशुपालन।			
२४०४,	दुग्ध उद्योग विकास।			
२४०५,	मत्स्य उद्योग।			
२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।			
२४२५,	सहकारिता।			
२५०१,	ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
२७०२,	लघु सिंचाई।			
२८०१,	विद्युत।			
२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
३०५४,	सड़क तथा पुल।			
३४५१,	सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
३४५२,	पर्यटन।			
३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज			
	संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			

अनुसूची-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
ओ-७४	जिला योजना -अमरावती।	२०४१, वाहनों पर कर । २०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज	...	रुपये ५,०८,१२,२४,००० रुपये ५,०८,१२,२४,०००

संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुद्देशन।

ओ-७६	जिला योजना -अकोला ।	२,६३,१६,८१,०००	...	२,६३,१६,८१,०००
२०४१,	वाहनों पर कर ।			
२०५३,	जिला प्रशासन ।			
२२०२,	सामान्य शिक्षा ।			
२२०३,	तकनीकी शिक्षा ।			
२२०४,	क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।			
२२०५,	कला तथा संस्कृति ।			
२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।			
२२१७,	नगर विकास ।			
२२२०,	सूचना तथा प्रचार ।			
२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति			
	अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।			
२२३०,	श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास ।			
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
२२३६,	पोषण ।			
२४०३,	पशुपालन ।			
२४०५,	मत्स्य उद्योग ।			
२४०६,	वन तथा वन्य जीवन ।			
२४२५,	सहकारिता ।			
२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।			
२७०२,	लघु सिंचाई ।			
२८०१,	विद्युत ।			
२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।			
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।			
३०५४,	सड़क तथा पुल ।			
३४५१,	सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।			
३४५२,	पर्यटन ।			
३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज			
	संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुद्देशन ।			

अनुसूची-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)
ओ-७८	जिला योजना -यवतमाल ।	२०४१, वाहनों पर कर । २०५३, जिला प्रशासन । २२०२, सामान्य शिक्षा । २२०३, तकनीकी शिक्षा । २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ । २२०५, कला तथा संस्कृति । २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य । २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता । २२१७, नगर विकास । २२२०, सूचना तथा प्रचार । २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण । २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन । २४०५, मत्स्य उद्योग । २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम । २७०२, लघु सिंचाई । २८०१, विद्युत । २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा । २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग । ३०५४, सड़क तथा पुल । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	रुपये ४,५२,७२,९८,००० ... रुपये ४,५२,७२,९८,०००

ओ-८०	जिला योजना -बुलढाणा।	२०४१, वाहनों पर कर।	४,१४,०३,९५,०००	...	४,१४,०३,९५,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।			
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगर विकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,			
		अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज			
		संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुद्देशन।			

अनुसूची-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
ओ-८२	जिला योजना -वाशिम।	२०४१, वाहनों पर कर । २०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज	२,८३,०४,२०,००० ...	रुपये रुपये रुपये

संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुद्देशन।

ओ-८४	जिला योजना -पालघर।	२०४१, वाहनों पर कर।	३,२२,८६,००,०००	...	३,२२,८६,००,०००
		२०५३, जिला प्रशासन।			
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१७, नगरविकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			

(१)	(२)	(३)	(४)
	३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	कुल—योजना विभाग। . .	२,७३,००,२२,५०,००० १,०५,१४,३९,००० २,७४,०५,३६,८९,०००
	संसदीय कार्य विभाग		
पी-१	सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	. .	६,११,५३,००० ... ६,११,५३,०००
पी-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	६०,००० ... ६०,०००
	कुल—संसदीय कार्य विभाग।	. .	६,१२,१३,००० ... ६,१२,१३,०००
	आवास विभाग		
क्यू-१	ब्याज अदायगीयाँ।	. .	... २८,४९,९२,००० २८,४९,९२,०००
क्यू-३	आवास।	. .	३३,९७,८१,६४,००० ... ३३,९७,८१,६४,०००
	कुल—नगरविकास।	. .	१७,०२,१८,००० ... १७,०२,१८,०००
क्यू-४	सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ।	. .	३४,१४,८३,८२,००० २८,४९,९२,००० ३४,४३,३३,७४,०००
	लोकस्वास्थ्य विभाग		
आर-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	. .	२,१९,१८,७४,६१,००० १,५३,५५,०१,००० २,२०,७२,२९,६२,०००
	कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।	. .	३४,६६,७९,००० ... ३४,६६,७९,०००
आर-२	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. .	२,१९,५३,४१,४०,००० १,५३,५५,०१,००० २,२१,०६,९६,४१,०००

चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग

एस-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	..	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	..	८१,८४,४२,०३,०००	१,५०,०००	८१,८४,४३,५३,०००
एस-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	४०,००,०००	...	४०,००,०००
एस-३	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ	..	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	..	२८,७०,१०,०००	१,०००	२८,७०,११,०००
कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।..							
					८१,१३,५२,१३,०००	१,५१,०००	८२,१३,५३,६४,०००

जनजाति विकास विभाग

टी-१	ब्याज अदायगियाँ।	..	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	...	५८,३५,००,०००	५८,३५,००,०००
टी-२	सहकारिता।	..	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	..	३१९,३२,२१,०००	...	३१९,३२,२१,०००
टी-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	४६,८०,०००	...	४६,८०,०००
टी-४	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	..	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	..	२३,७६,०६,०००	...	२३,७६,०६,०००
टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय।	..	२०५३, जिला प्रशासन।	..	२,०६,२७,६९,३९,०००	...	२,०६,२७,६९,३९,०००
			२०५९, लोक निर्माण कार्य।				
			२२०२, सामान्य शिक्षा।				
			२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
			२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
			२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
			२२१६, आवास।				

अनुसूची-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		२२१७, नगरविकास ।		
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।		
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास ।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।		
		२२३६, पोषण ।		
		२४०१, कृषि कर्म ।		
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण ।		
		२४०३, पशुपालन ।		
		२४०५, मत्स्योद्योग ।		
		२४०६, वन तथा वन्यजीवन ।		
		२४०८, खाद्य भंडारण और गोदाम ।		
		२४२५, सहकारिता ।		
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।		
		२५०५, ग्राम नियोजन ।		
		२७०२, लघु सिंचाई ।		
		२८०१, विद्युत ।		
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।		
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।		
		२८५२, उद्योग ।		
		३०५४, सड़क तथा पुल ।		
टी-१	जिला योजना ।	..	२५,२७,७३,८८,०००	२५,२७,७३,८८,०००
		..	..	..
		कुल-जनजाति विकास विभाग ।	२,३४,९८,९८,३४,०००	२,३५,५७,३३,३४,०००

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग

यू-१	ब्याज अदायगियाँ।	..	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	७,९८,९६,०००	७,९८,९६,०००
यू-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	६०,०००	६०,०००
यू-३	सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।	..	२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।	..	८,३५,५५,०००	८,३५,५५,०००
यू-४	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण।	..	३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण।	..	६,०९,८६,०३,०००	६,०९,८६,०३,०००
कुल-पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग।				..	६,१८,२२,१८,०००	६,२६,२१,१४,०००

सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग

वी-१	ब्याज अदायगियाँ।	..	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	६,०९,६५,०९,०००	६,०९,६५,०९,०००
वी-२	सहकारिता।	..	२०७०, अन्य प्रशासकीय सेवाएँ।	..	२३,६६,४७,७१,०००	२३,६६,४९,३९,०००
२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण				..	२३,६६,४७,७१,०००	२३,६६,४९,३९,०००
२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				..	१,६०,०००	१,६०,०००
२४२५, सहकारिता।				..	२३,६६,४७,७१,०००	२३,६६,४९,३९,०००
२४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम।				..	२३,६६,४७,७१,०००	२३,६६,४९,३९,०००
२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				..	२३,६६,४७,७१,०००	२३,६६,४९,३९,०००
३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।				..	२३,६६,४७,७१,०००	२३,६६,४९,३९,०००
३४५६, सिविल आपूर्ति।				..	२३,६६,४७,७१,०००	२३,६६,४९,३९,०००

कुल-सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।

२३,६६,४७,७१,०००	६,०९,६६,६१,०००	२९,७६,१४,३२,०००
-----------------	----------------	-----------------

उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग

डब्ल्यू-१	ब्याज अदायगियाँ।	..	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	४,०३,८२,१२,०००	४,०३,८२,१२,०००
डब्ल्यू-२	सामान्य शिक्षा।	..	२२०२, सामान्य शिक्षा।	..	१,१९,७३,६१,०९,०००	१,१९,७३,६१,०९,०००
डब्ल्यू-३	तकनीकी शिक्षा।	..	२२०३, तकनीकी शिक्षा।	..	२६,५५,५४,८९,०००	२६,५५,५४,८९,०००
डब्ल्यू-४	कला तथा संस्कृति।	..	२२०५, कला तथा संस्कृति।	..	५,५६,६१,१९,०००	५,५६,६१,१९,०००
डब्ल्यू-५	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	१३,००,०००	१३,००,०००
डब्ल्यू-६	सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।	..	२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।	..	३२,२०,८९,०००	३२,२०,८९,०००
डब्ल्यू-७	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए राजस्व व्यय।	..	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	..	२,०००	२,०००

कुल- उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग।

१,५२,१८,११,००,०००	४,०३,८३,६१,०००	१,५६,२१,९४,६२,०००
-------------------	----------------	-------------------

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
महिला तथा बाल विकास विभाग				
एक्स-१	सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२,५५,७१,९१,९९,०००	२,५५,७१,९१,९९,०००
		२२३६, पोषण।	...	...
एक्स-२	सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।	२०,६७,७७,०००	२०,६७,७७,०००
		कुल- महिला तथा बाल विकास विभाग।	२,५५,९२,५८,९६,०००	२,५५,९२,५८,९६,०००
जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग				
वाय-१	ब्याज अदायगीयाँ।	२०४९, ब्याज अदायगीयाँ।	...	२९,७८,९९,०००
वाय-२	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	१,१२,९७,८०,५९,०००	१,१२,९८,३०,४९,०००
वाय-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	१,२०,०००	१,२०,०००
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	...	...
वाय-४	लघु सिंचाई।	२७०२, लघु सिंचाई।	६४,१८,६३,०००	६४,१८,६३,०००
वाय-५	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	२,२१,८१,०४,०००	२,२१,८१,०४,०००
		कुल- जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।	१,१५,८३,८१,३८,०००	१,१६,१४,१०,२७,०००
कौशल, रोजगार उद्यमिता तथा नवाचार विभाग				
जेड-क-१	ब्याज अदायगीयाँ।	२०४९, ब्याज अदायगीयाँ।	...	६४,५७,१७,०००
जेड-क-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०३, तकनीकी शिक्षा।	३१,८८,२३,३२,०००	३१,८८,३९,०२,०००
		२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विभाग।	...	...
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	१५,७०,०००	१५,७०,०००
		२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।	...	...
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	...	...
		कुल- कौशल, रोजगार, उद्यमिता तथा नवाचार विभाग।	३१,८८,२३,३२,०००	३२,५२,९६,१९,०००

महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय

जेड ग-१ संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	२०११, संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	४,६६,८६,९९,०००	२,७५,८०,०००	४,६९,६२,७९,०००
जेड ग-२ सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	४०,०५,४०,०००	...	४०,०५,४०,०००
कुल— महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।				
	..	५,०६,९२,३९,०००	२,७५,८०,०००	५,०९,६८,१९,०००

पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग

जेड घ-१ सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२०७०, अन्य प्रशासकीय सेवाएँ।	२५,०४,४९,०००	...	२५,०४,४९,०००
२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।				
जेड घ-२ कला तथा संस्कृति।	२२०५, कला तथा संस्कृति।	१३,९०,८७,९९,०००	...	१३,९०,८७,९९,०००
जेड घ-३ सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	३,६०,०००	...	३,६०,०००
जेड घ-४ पर्यटन।	३४५२, पर्यटन।	२१,६१,९२,००,०००	...	२१,६१,९२,००,०००
कुल— पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग।				
	..	३५,७७,८७,२८,०००	...	३५,७७,८७,२८,०००

अल्पसंख्यक विकास विभाग

जेड ड-१ अल्पसंख्यक विकास।	२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	९,७३,८१,८२,०००	...	९,७३,८१,८२,०००
२०५३, जिला प्रशासन।				
२०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।				
२२०५, कला तथा संस्कृति।				
२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	कुल— अल्पसंख्यक विकास विभाग।	९,७३,८१,८२,०००	...	९,७३,८१,८२,०००

मराठी भाषा विभाग

जेड च-१ सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	४३,८७,३७,०००	...	४३,८७,३७,०००
जेड च-२ कला तथा संस्कृति।	२२०५, कला तथा संस्कृति।	१,५८,५५,९७,०००	...	१,५८,५५,९७,०००
जेड च-३ सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२,४०,०००	...	२,४०,०००
कुल— मराठी भाषा विभाग।				
	..	२,०२,४५,७४,०००	...	२,०२,४५,७४,०००

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग				
जेड छ-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	...	रुपये ३८,९०,९९,०००
जेड छ-२	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय सामाजिक सेवाएँ।	२५,०९,३९,०००	रुपये १,०००
जेड छ-३	विमुक्त जाति, खानबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्गों का कल्याण।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	४६,७९,१०,७४,०००	...
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	४७,०४,१२,१३,०००	४७,४३,०३,०५,०००
मृदा तथा जल संरक्षण विभाग				
जेड ज-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	...	रुपये ६,०००
जेड ज-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	५०,००,०००	५०,००,०००
जेड ज-३	सिंचाई, ऊर्जा और अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।	९,८३,५६,८५,०००	९,८३,५६,८५,०००
जेड ज-४	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	२०,८३,०९,०००	२०,८३,०९,०००
		२७०२, लघु सिंचाई।	...	...
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	१०,०४,८९,९४,०००	१०,०४,९०,००,०००
दिव्यांग व्यक्ति कल्याण विभाग				
जेड झ-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	...	रुपये १८,००,००,०००
जेड झ-२	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	३९,६०,५४,०००	३९,६०,५४,०००
जेड झ-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२,७७,५१,३७,०००	२२,७७,५१,३७,०००
		कुल— दिव्यांग व्यक्ति कल्याण विभाग।	२३,१७,११,९१,०००	२३,३५,११,९१,०००
		कुल—क-राजस्व लेखे पर व्यय।	५९,६७,४५,३९,३६,०००	५९,६७,४५,३९,३६,०००

ख-पूँजीगत लेखे पर व्यय

सामान्य प्रशासन विभाग

ए-१	लोकनिर्माण कार्य पर पूँजीगत	..	४०५९, लोकनिर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय।	..	१,१६,८३,०५,०००	...	१,१६,८३,०५,०००
	परिव्यय।		४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।				
			५०५३, सिविल, विमानन पर पूँजीगत परिव्यय।				
			५२७५, अन्य संसूचना सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।				
ए-१०	सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।	..	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।	..	२४,७०,४०,०००	...	२४,७०,४०,०००
			कुल—सामान्य प्रशासन विभाग।	..	१,४१,५३,४५,०००	...	१,४१,५३,४५,०००

गृह विभाग

बी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।		४०५५, पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय।		२४,६३,३९,८७,०००	...	२४,६३,३९,८७,०००
			४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।				
			५००२, भारतीय रेल-वाणिज्य की तर्ज पर पूँजीगत परिव्यय।				
			५०५२, पत्तन तथा दीपगृह।				
			५०५५, सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय।				
बी-११	सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।		७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।		१,०३,३२,१८,०००	...	१,०३,३२,१८,०००
			कुल—गृह विभाग।	..	२५,६६,७२,०५,०००	...	२५,६६,७२,०५,०००

राजस्व तथा वन विभाग

सी-१	अन्य प्रशासनिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय।	..	३३,०२,०१,०००	१,००,००,०००	३४,०२,०१,०००
			४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।				
			६२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के लिए कर्ज।				

अनुसूची-चालू

(१)	(२)	(३)	रुपये	रुपये	(४)
सी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।	१४,७३,०४,३४,०००	...	१४,७३,०४,३४,०००
		४४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	...	...	...
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६४०१, कृषि कर्म के लिए कर्ज।			
सी-११	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	...	१,०००	१,०००
सी-१२	सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	२,४२,५१,८१,०००	...	२,४२,५१,८१,०००
		कुल— राजस्व तथा वन विभाग।	१७,४८,५८,१६,०००	१,००,०१,०००	१७,४९,५८,१७,०००
कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग					
डी-८	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।	३,०००	...	३,०००
डी-९	मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	२,६७,१३,४२,०००	...	२,६७,१३,४२,०००
डी-१०		६४०५, मत्स्योद्योग के लिए कर्ज।	...	...	...
		४४०४, दुग्ध उद्योग विकास पर पूंजीगत परिव्यय।	१,०००	२४,७१,००,०००	२४,७१,०१,००,०००
		६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।			
डी-११	सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।	६२१६, आवास के लिए कर्ज।			
		७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।			
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	२७,९६,७२,०००	...	२७,९६,७२,०००
			२,९५,१०,१८,०००	२४,७१,००,०००	३,१९,८१,१८,०००
विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग					
ई-४	शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	४२०२, शिक्षा क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	१,८९,०७,५४,०००	...	१,८९,०७,५४,०००
ई-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिये कर्ज।	१२,१४,९८,०००	...	१२,१४,९८,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।	२,०१,२२,५२,०००	...	२,०१,२२,५२,०००

नगरविकास विभाग

एफ-५	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१७, नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय।	..	२३,२६,००,०२,०००	...	२३,२६,००,०२,०००
एफ-६	राज्य सरकार का अंतरिम ऋण।	६००३, राज्य सरकार का अंतरिम ऋण।	..	...	१,०००	१,०००
एफ-७	नगर विकास के लिए कर्ज।	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।	..	६७,७६,२३,५८,०००	...	६७,७६,२३,५८,०००
एफ-८	सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।	..	६,७२,४०,०००	...	६,७२,४०,०००
		कुल—नगर विकास विभाग	..	९१,०८,९६,००,०००	१,०००	९१,०८,९६,००,०००

वित्त विभाग

जी-८	४०५९, लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	४०५९, लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	..	१,९९,९७,६०,०००	...	१,९९,९७,६०,०००
	५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	..	...	...	...
जी-९	६००३, लोक ऋण और आंतरराज्य निपटान।	६००३, लोक ऋण और आंतरराज्य निपटान।	..	६,२०,०७,५७,४९,०००	...	६,२०,०७,५७,४९,०००
	६००४, लोक ऋण और आंतरराज्य निपटान।	६००४, लोक ऋण और आंतरराज्य निपटान।	..	...	...	...
जी-१०	७८१०, सरकारी कर्मचारियों आदि, को ऋण।	७८१०, सरकारी कर्मचारियों आदि, को ऋण।	..	४,०२,८३,९०,०००	...	४,०२,८३,९०,०००
		कुल—वित्त विभाग	..	६,०२,८३,९०,०००	६,२०,०७,५७,४९,०००	६,२६,१०,३८,९९,०००

लोक निर्माण कार्य विभाग

एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा अन्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।	..	३,१६,०८,४४,१२,०००	...	३,१६,०८,४४,१२,०००
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	..	...	...	...
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।	..	...	...	...
एच-८	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	५४,१५,२१,५४,०००	१२,००,००,०००	५४,२७,२१,५४,०००
		४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	..	...	...	...
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	..	...	...	...
		४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	..	...	...	...
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	..	...	...	...
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	..	...	...	...

अनुसूची-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
एच-१	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए पूँजीगत परिव्यय।	४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	१२,३५,०१,००० ... ६४,७१,४०,०००	१२,३५,०१,००० ... ६४,७१,४०,०००
एच-११	सरकारी कर्मचारियों आदि, को कर्ज । . .	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि, को कर्ज ।	३,७१,००,७२,०७,०००	३,७१,१२,७२,०७,०००
जलस्रोत विभाग				
आय-५	सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय।	४४०२, मुदा तथा जलसंरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय। ४७००, बड़ी सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय। ४७०१, मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय। ४७०५, कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय। ४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	१,८६,१८,९७,०१,००० ... २०,०५,७९,२१,०००	१,८६,१९,१७,०१,००० ... २०,०५,७९,२१,०००
आय-६	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण ।	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण ।	२०,०५,७९,२१,०००	२०,०५,७९,२१,०००
आय-७	सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज । ७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज ।	१,५२,९१,७५,०००	१,५२,९१,७५,०००
कुल-जलस्रोत विभाग । . .			१,८७,७१,८८,७६,०००	२,०५,७९,२१,०००

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग		
एन-४	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय।	३३,९३,८९,४२,०००	३३,९३,८९,४२,०००
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	...	...
		४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	...	...
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	...	...
		४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।	...	...
		४४०८, खाद्य, भंडारण और गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय।	...	...
		४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय।	...	...
		६२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये कर्ज।	...	...
एन-५	सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज। ७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।	...	११,१६,००,०००	११,१६,००,०००
एन-७	जिला योजनाएँ।	४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	७९,८०,९५,०००	७९,८०,९५,०००
एन-८	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	६२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	८६,९१,०००	८६,९१,०००
		कुल-सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	...	३४,८५,७३,२८,०००

योजना विभाग

ओ-१०	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत. . .	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२५०,	६४,२९,४५,०४,०००	...	६४,२९,४५,०४,०००
		परिव्यय।				
		अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	४५१५,			
		पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय।	५४५२,			
ओ-११	पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय। . .	पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय।	४५५१,	२,५५,००,००,०००	...	२,५५,००,००,०००
ओ-१२	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारी संस्थाओं में विनिवेश।	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारी संस्थाओं में विनिवेश।	५४६५,	१,००,०००	. . .	१,००,०००
ओ-१३	सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।	सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज	७६१०,			
ओ-१५	जिला योजना-मुंबई शहर।	जिला योजना-मुंबई शहर।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।			
			४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
			४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
			४२३५, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
			४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
			४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
ओ-१७	जिला योजना-मुंबई उपनगर।	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	४५१५,			
			४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।			
			४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
			४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
			४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
			४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
			४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
			४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
			४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
			४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
			४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
				१,६६,९५,५१,०००	...	१,६६,९५,५१,०००

अनुसूची-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
ओ-१९	जिला योजना-ठाणे।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए ऋण।	१,९५,००,५५,००० ...	१,९५,००,५५,००० ...
ओ-२१	जिला योजना-रायगढ़।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	१,२२,८४,९२,००० ...	१,२२,८४,९२,००० ...

ओ-२३ जिला योजना-रत्नागिरी।

१,०१,०१,३६,०००

...

१,०१,०१,३६,०००

- ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।
 ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।
 ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।
 ६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज।
 ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योगों के लिए कर्ज।
 ४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।
 ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।
 ६२३५, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।
 ४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।
 ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।
 ६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज।

ओ-२५ जिला योजना-सिंधुदुर्ग।

५१,४९,३३,०००

...

५१,४९,३३,०००

अनुसूची-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
ओ-२७	जिला योजना-पुणे।	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज। ४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगरविकास के लिए ऋण। ६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	१,७१,४६,९६,०००	१,७१,४६,९६,०००
ओ-२९	जिला योजना-स्तारा।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।	१,२०,०८,४९,०००	१,२०,०८,४९,०००

ओ-३१ जिला योजना-सांगली।

४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
४७०२, लघुसिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।		
६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज।		
४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	१,३१,४१,८४,०००	१,३१,४१,८४,०००
४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	...	...
४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		
४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।		
४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।		
४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।		
४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।		
६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज।		
६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज।		
४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	१,४४,०५,००,०००	१,४४,०५,००,०००
४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	...	...
४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		
४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।		
४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।		
४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		

ओ-३३ जिला योजना-सोलापुर।

अनुसूची-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
ओ-३५	जिला योजना-कोल्हापुर।	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज। ६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज। ४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज। ६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज। ४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।		१,४२,२९,५७,००० १,४२,२९,५७,००० १,४७,०२,३०,०००
ओ-३७	जिला योजना-नासिक।			

अनुसूची-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज।		
ओ-४३	जिला योजना-अहमदनगर।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	१,२३,९०,००,०००	१,२३,९०,००,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	...	...
		४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज।		
ओ-४५	जिला योजना-नंदुरबार।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	४०,०३,५०,०००	४०,०३,५०,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	...	...
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		

४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	ओ-४७ जिला योजना-छत्रपति संभाजीनगर।	१,११,६७,५६,०००	...	१,११,६७,५६,०००
४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाईपर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज। ६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	ओ-४९ जिला योजना-जालना।	७१,११,९७,०००	...	७१,११,९७,०००

अनुसूची-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
ओ-५१	जिला योजना-परभणी।	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज। ६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज। ४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज। ६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज। ४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।	८१,७४,६५,००० ... ८१,७४,६५,०००	१,१९,४८,४४,००० ... १,१९,४८,४४,०००
ओ-५३	जिला योजना-नांदेड।			

४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।			
६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज।			
४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	८६,००,९३,०००	...	८६,००,९३,०००
४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
४७०२, लघुसिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज।			
६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज।			
४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	७८,१४,०५,०००	...	७८,१४,०५,०००
४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			

ओ-५५ जिला योजना-बीड़।

ओ-५७ जिला योजना-लातूर।

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७०२, लघुसिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज।		
		६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज।		
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।		
ओ-५९	जिला योजना-धाराशिव।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	८८,३२,२९,०००	८८,३२,२९,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	...	...
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज।		
ओ-६१	जिला योजना-हिंगोली।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	८८,३२,२९,०००	८८,३२,२९,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	...	...
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		

ओ-६३ जिला योजना-नागपुर।	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।		
	६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज।		
	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	१,१२,०९,०८,०००	१,१२,०९,०८,०००
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	...	
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
ओ-६५ जिला योजना-वर्धा।	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।		
	६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज।		
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।		
	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	६१,२८,६६,०००	६१,२८,६६,०००
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	...	
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।		

अनुसूची-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७०२, लघुसिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।		
		६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणों के लिए कर्ज।		
		४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	४८,४१,८५,०००	४८,४१,८५,०००
	ओ-६७ जिला योजना-भंडारा।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	...	
		४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणों के लिए कर्ज।		

ओ-६९	जिला योजना-चंद्रपुर।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज।	१,२०,६९,८७,०००	...	१,२०,६९,८७,०००
ओ-७१	जिला योजना-गडचिरोली।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज।	१,३९,३३,२०,०००	...	१,३९,३३,२०,०००
ओ-७३	जिला योजना-गोंदिया।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	६३,१७,०८,०००	...	६३,१७,०८,०००

अनुसूची-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज।		
ओ-७५	जिला योजना-अमरावती।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	९६,८७,७६,०००	९६,८७,७६,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	...	
		४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।		

४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	ओ-७७ जिला योजना-अकोला।	१,२३,८३,१९,०००	...	१,२३,८३,१९,०००
४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाईपर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज। ६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज।	ओ-७९ जिला योजना-यवतमाल।	१,१७,२७,०२,०००	...	१,१७,२७,०२,०००

अनुसूची-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
ओ-८१	जिला योजना-बुलढाणा।			
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	१,१८,१६,०५,०००	...	१,१८,१६,०५,०००
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज।			
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			

ओ-८३	जिला योजना-वाशिम।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज। ६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज। ४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	५७,९५,८०,०००	...	५७,९५,८०,०००
ओ-८५	जिला योजना-पालघर।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	५७,९५,८०,०००	...	५७,९५,८०,०००

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
	५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज।		१,०७,५१,३६,१४,०००	१,०७,५१,३६,१४,०००
		कुल—योजना विभाग।	...	...
	संसदीय कार्य विभाग			
पी-३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।	१,१६,००,०००	१,१६,००,०००
		कुल—संसदीय कार्य विभाग।	१,१६,००,०००	१,१६,००,०००
	आवास विभाग			
क्यू-६	सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।	३,४६,००,०००	३,४६,००,०००
		कुल— आवास विभाग।	३,४६,००,०००	३,४६,००,०००
	लोकस्वास्थ्य विभाग			
आर-३	४२१०, लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय। ६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	४२१०, लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय। ६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	५,२३,७६,०००	३,९४,८०,००,०००
आर-४	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि, के कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि, के कर्ज।	७६,९१,७०,०००	७६,९१,७०,०००
		कुल— लोकस्वास्थ्य विभाग।	८२,१५,४६,०००	३,९४,८०,००,०००
			४,७६,९५,४६,०००	

चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग

एस-४	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१०,	..	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१७,५५,२४,९२,०००	...	१७,५५,२४,९२,०००
एस-५	सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।	७६१०,	..	सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।	..	१०,००,११,०००	...	१०,००,११,०००
कुल— चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।								
१७,६५,२५,०३,०००								
जनजाति विकास विभाग								
टी-६	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९,	..	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	३६,२१,८४,९७,०००	...	३६,२१,८४,९७,०००
		४२०२,		शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२२५,		अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२५०,		अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०२,		मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०६,		वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०८,		खाद्य, भंडारण तथा गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४२५,		सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४७०१,		बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४७०२,		लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
		५०५४,		सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।				
टी-७	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना के लिए ऋण।	६२२५,	..	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना के लिए ऋण।	..	१,०००	...	१,०००
टी-८	सरकारी कर्मचारियों आदि, के कर्ज।	७६१०,	..	सरकारी कर्मचारियों आदि, के कर्ज।	..	१७,३०,००,०००	...	१७,३०,००,०००
टी-१०	जिला योजनाएँ।	४२२५,	..	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	..	४,८६,६५,२८,०००	...	४,८६,६५,२८,०००
टी-११	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण।	६२२५,	..	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण।	..	१,८४,०००	...	१,८४,०००
कुल— जनजाति विकास विभाग।								
						४१,२५,९०,१०,०००	...	४१,२५,९०,१०,०००

(१)	(२)	(३)	रुपये	रुपये	(४)	रुपये
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग						
यू-५	सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज। ७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।	..	२,७१,०१,०००	...	२,७१,०१,०००
	कुल—पर्यावरण और वातावरण परिवर्तन विभाग।		..	२,७१,०१,०००	...	२,७१,०१,०००
सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग						
वी-३	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय।	..	३,६५,२७,१६,०००	...	३,६५,२७,१६,०००
	परिव्यय।	अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।				
		ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।				
		अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
वी-४	राज्य सरकार का अंतर्गत ऋण।	राज्य सरकार का अंतर्गत ऋण।	..	...	९३,५९,०१,०००	९३,५९,०१,०००
वी-५	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	सहकारिता के लिए कर्ज।	..	३६,१२,७४,०००	...	३६,१२,७४,०००
		ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।				
		ग्राहक उद्योगों के लिए कर्ज।				
		अन्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण।				
वी-६	सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज। ७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।	..	१६,२५,१३,०००	...	१६,२५,१३,०००
	कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।		..	४१,७,६५,०३,०००	९३,५९,०१,०००	५,११,२४,०४,०००
उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग						
डब्ल्यू-८	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	..	३,०००	...	३,०००
डब्ल्यू-९	सरकारी कर्मचारियों को आदि, ऋण। ७६१०,	सरकारी कर्मचारियों को आदि ऋण।	..	५२,५९,७०,०००	...	५२,५९,७०,०००
	कुल—उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग।		..	५२,५९,७३,०००	...	५२,५९,७३,०००

महिला तथा बाल विकास विभाग

एक्स-३ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२३६,	पोषण पर पूंजीगत परिव्यय।	१,०००	...	१,०००
एक्स-४ सरकारी कर्मचारियों आदि, को ऋण।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि, को ऋण।	७,५२,००,०००	...	७,५२,००,०००
		कुल—महिला तथा बाल विकास विभाग।	७,५२,०१,०००	...	७,५२,०१,०००

जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग

वाय-६ आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय।	३८,०६,५४,०००	५,००,०००	३८,०६,५४,०००
	४४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४७०२,	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
	६२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के लिए कर्ज।			
वाय-७ सरकारी कर्मचारियों आदि, के कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि, के कर्ज।	१०,४३,७२,०००	...	१०,४३,७२,०००
		कुल—जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।	४८,४५,३६,०००	५,००,०००	४८,५०,३६,०००

कौशल, नियोजन, उद्यमिता और नवाचार विभाग

जेड क-३ सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।	२६,३९,५०,०००	...	२६,३९,५०,०००
		कुल—कौशल, नियोजन, उद्यमिता और नवाचार विभाग।	२६,३९,५०,०००	...	२६,३९,५०,०००

महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय

जेड ग-३ सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।	४२१६,	आवास पर पूंजीगत परिव्यय।	४,५०,५९,९९,०००	...	४,५०,५९,९९,०००
	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।			
		कुल—महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।	४,५०,५९,९९,०००	...	४,५०,५९,९९,०००

पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग

जेड घ-५	४२०२,	शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	२,३७,६५,७०,०००	...	२,३७,६५,७०,०००
	५४५२,	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय।			
जेड घ-६ सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।	३,०८,००,०००	...	३,०८,००,०००
		कुल—पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग।	२,४०,७३,७०,०००	...	२,४०,७३,७०,०००

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
अल्पसंख्यक विकास विभाग				
जेड ड-२ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।		..	१८,००,००,०००	१८,००,००,०००
जेड ड-३ सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज। ७६१०, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।		..	१,१३,१०,०००	१,१३,१०,०००
कुल—अल्पसंख्यक विकास विभाग।				
		..	१९,१३,१०,०००	१९,१३,१०,०००
मराठी भाषा विभाग				
जेड च-४ लोकनिर्माण कार्य विभाग ४०५९, लोकनिर्माण कार्य विभाग पर पूंजीगत परिव्यय।		..	८०,००,००,०००	८०,००,००,०००
जेड च-५ सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज। ७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।		..	२,२६,०९,०००	२,२६,०९,०००
कुल—मराठी भाषा विभाग।				
		..	८२,२६,०९,०००	८२,२६,०९,०००
अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग				
जेड छ-४ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत व्यय।		..	२७,००,००,०००	२७,००,००,०००
जेड छ-५ आवास के लिए कर्ज। ६२१६, आवास के लिए कर्ज।		..	३,६२,०९,०००	३,६२,०९,०००
कुल—अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग।				
		..	३०,६२,०९,०००	३०,६२,०९,०००

मृदा और जल संरक्षण विभाग

जेड-ज-५ सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	..	४४०२, मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत व्यय।	..	४२,०१,००,००,०००	...	४२,०१,००,००,०००
		४७०२, लघुसिंचाई पर पूंजीगत व्यय।				
जेड-ज-६ राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	६००३,	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	..	..	१,०००	१,०००
जेड-ज-७ सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि, के लिए कर्ज।	..	५,९०,५०,०००	..	५,९०,५०,०००
		कुल—मृदा और जल संरक्षण विभाग।	..	४२,०६,९०,५०,०००	१,०००	४२,०६,९०,५१,०००
दिव्यांग व्यक्ति कल्याण विभाग						
जेड-झ-४ सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	४२३५,	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१५,००,००,०००	...	१५,००,००,०००
जेड-झ-५ सरकारी कर्मचारी आदि, को कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारी आदि, को कर्ज।	..	३,०२,९९,०००	...	३,०२,९९,०००
		कुल—विकलांग व्यक्ति कल्याण विभाग।	..	१८,०२,९९,०००	...	१८,०२,९९,०००
		कुल — ख-पूंजीगत लेखे पर परिव्यय।	..	१२,४९,५०,७७,१६,०००	६,४५,३९,७१,७४,०००	१८,९४,९०,४८,९०,०००
		कुल योग।	..	७२,१६,९६,०८,५२,०००	१३,६८,१३,४४,१९,०००	८५,८५,०८,५२,६३,०००

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४(१) यह अपेक्षा करता है कि, विधानसभा द्वारा अनुदान दिये जाने के बाद, यथासंभव शीघ्र, राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से विनियोग करने के लिए उपबंध करने संबंधी विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा जो कि,—

(क) इस प्रकार विधानसभा द्वारा दिये गये अनुदानों के लिए ; और

(ख) राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय के लिए किंतु किसी भी मामले में विधानमंडल के समक्ष रखी गई पूर्ववर्ती विवरणी में दर्शायी गई रकम से अधिक नहीं होगी अपेक्षित सभी धन को पूरा करने के लिए होगा।

प्रस्तुत विधेयक तदनुसार, विधानसभा द्वारा दिये गये अनुदानों को पूरा करने तथा वित्तीय वर्ष २०२६-२०२७ के लिए राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित रकम को पूरा करने के लिए अपेक्षित सकल रकमों को विनिर्दिष्ट करता है।

रकमें नीचे दर्शायी गई हैं :—

	रुपये
(क) राजस्व व्यय	. . ६६,९०,१८,०३,७३,०००
(ख) पूँजीगत व्यय	. . १८,९४,९०,४८,९०,०००
कुल	. . ८५,८५,०८,५२,६३,०००

मुंबई,
दिनांकित १६ मार्च २०२६।

देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. अरुण कमळाबाई वाळू गिते,
प्रभारी भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।